प्रेषक,

भरोसी लाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय विभाग

देहरादून:दिनांक: 31 जनवरी, 2003

विषय: उत्तरांचल राज्य में स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट् के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4772/यू.एच.सी.-एडमिन-सेक, दिनांक 17.9.2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थापित फास्ट ट्रैक कार्ट् के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में रूपये 1,84,00,000/- (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय ग्यारहवें वित्त आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो के अन्तर्गत किया जायेगा ।

3- उक्त धनराशि का का जिलेवार आबंटन निबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा किया जायेगा।

4- कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय, यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जाए ।

5- शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध मे निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट्स में निर्धारित दरों पर ही किया जाए।

7- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

8- निर्माण हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाय ।

9- एकमुश्त प्राविधान यदि कोई हो का विस्तृत आगणन सक्षम स्तर से स्वीकृत करके तथा कार्य की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

10- धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 में ही किया जायेगा तथा उसी मद में किया जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है ।

11- धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/संस्तुत सीमाओं के अनुसार ही किया जायेगा ।

12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-051-निर्माण-02-ग्यारहवें वित्त आयोग से न्याय प्रशासन का उन्नयन-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-2585/वित्त अनुभाग-3/2002, दिनांक 29 जनवरी, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(भरोसी लाल)
सचिव ।

संख्या:- 7-एक(1)(1)/न्याय विभाग/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।

3- वित्त अनुभाग-3 / गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
31।
(यू.सी. ध्यानी)
अपर सचिव ।